



नायब सिंह सैनी द्वारा पेश
दिजनरी एवं प्रोड्यूसिव वीडियो... 7

RNI NO.51594/94

दैनिक

नेशनल प्रहरी

दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और छडीमड से एक साथ प्रसारित



एक साइकिल यात्रा नया मुक्ति
के नाम-यौम से 8 अप्रैल... 8

पृष्ठ: 31 अंक: 329 पत्नीटाबड, उज्जिनर: 22 मार्च 2025 Email: nationalprahari.info@gmail.com www.nationalpraharnews.com

कृपया: 1 रु. पृष्ठ: 8

अग्रवाल महाविद्यालय में 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम' (POSH) पर कार्यशाला का आयोजन

नेशनल प्रहरी/ रघुवीर सिंह

बालाबगढ़। अग्रवाल महाविद्यालय बालाबगढ़ में 21 मार्च 2025 को आंतरिक शिकायत समिति के तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन महाविद्यालय प्रधान देवीद कुमार गुप्त, महासचिव

नई दिल्ली पथारे, जे जने-मने कानूनी विशेषज्ञ और प्रमाणित POSH प्रतिष्ठक है। विशेषज्ञों ने यौन उत्पीड़न की परिभाषा को स्पष्ट करने और छात्र अभिनेता के छात्र उत्पीड़न की परिभाषा को समझने, शिकायत दर्ज करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शन, समाधान के



दिनेश कुमार गुप्ता एवं प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार गुप्ता के कुशल नेतृत्व में किया गया। परिभाषा में सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल को बहाल देने के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) अधिनियम, 2013 पर ध्यान केंद्रित करते हुए POSH आचरणकाल प्रशिक्षण कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य संकाय और कर्मचारियों को उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों और उचित शिक्षा संस्थान में यौन उत्पीड़न से निपटने के तंत्र के बारे में शिक्षित करना था। प्राचार्य जी ने अपने संबोधन में बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य POSH अधिनियम के प्रावधानों और शैक्षणिक संस्थानों में इसकी प्रवृत्त के बारे में जागरूकता बढ़ाना, शिकायतों से निपटने में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की भूमिका पर प्रकाश डालना और एक सुरक्षित, समावेशी और लिंग-संवैदकरील परिसर वातावरण के निर्माण को प्रोत्साहित करना था। इस सत्र में विशेष बधाई के रूप में विजय कुमार, संस्थापक और अध्यक्ष, महिला का समझन (HOW), सहायक प्रवक्ता, स्कूल ऑफ लॉ जम्मिया इमरद, नई दिल्ली ने प्रतिभागियों को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों से जुड़ने में मदद करने के लिए इंटरैक्टिव चर्चाओं और केस स्टडीज का उपयोग किया था, जिससे एक अवकाश और जानकारीपूर्ण सत्र तैयार हुआ। कार्यशाला में उसारी भागीदारी देखी गई और उन्होंने जानकारी और सहाज सत्र के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। कार्यशाला का समापन आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्ष डॉ. सोमेश गोवाल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यशाला को सफल बनाने में आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य डॉ. शिवाल गोवाल, डॉ. पूजा मैनी व सुप्रभाष विद्याधरी सदस्य में चंचल व भविष्य का विशेष योगदान रहा। कार्यशाला से 76 शिक्षार्थी लाभान्वित हुए।

लिए समय सीमा और गोपनीयता उपायों और खुले संघर्ष को प्रोत्साहित करने वाले निष्कर्ष उठाए और उत्पीड़न को रोकने के लिए नीति प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा उन्होंने संस्थ के भीतर शिकायतों को संशोधित करने में आंतरिक शिकायत समिति की संरचना, जिम्मेदारियों और कार्यप्रणाली पर भी प्रकाश डाला। चक्रवी डॉ. कुलसुम शेट्टी, सहायक प्रवक्ता, स्कूल ऑफ लॉ जम्मिया इमरद, नई दिल्ली ने प्रतिभागियों को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों से जुड़ने में मदद करने के लिए इंटरैक्टिव चर्चाओं और केस स्टडीज का उपयोग किया था, जिससे एक अवकाश और जानकारीपूर्ण सत्र तैयार हुआ। कार्यशाला में उसारी भागीदारी देखी गई और उन्होंने जानकारी और सहाज सत्र के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। कार्यशाला का समापन आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्ष डॉ. सोमेश गोवाल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यशाला को सफल बनाने में आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य डॉ. शिवाल गोवाल, डॉ. पूजा मैनी व सुप्रभाष विद्याधरी सदस्य में चंचल व भविष्य का विशेष योगदान रहा। कार्यशाला से 76 शिक्षार्थी लाभान्वित हुए।



News21Tv

2d · 🌐

...

"कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम " (POSH) पर कार्यशाला का आयोजन

अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ में दिनांक 21 मार्च 2025 को आंतरिक शिकायत समिति के तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन महाविद्यालय प्रधान श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता, महासचिव श्री दिनेश कुमार गुप्ता एवं प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार गुप्ता के कुशल नेतृत्व में किया गया। परिसर में सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल को बढ़ावा देने के लिए "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम " (POSH) अधिनियम, 2013 पर ध्यान केंद्रित करते हुए POSH जागरूकता प्रशिक्षण कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य संकाय और कर्मचारियों को उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों और उच्च शिक्षा संस्थान में यौन उत्पीड़न से निपटने के तंत्र के बारे में शिक्षित करना था। प्राचार्य जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य POSH अधिनियम के प्रावधानों और शैक्षणिक संस्थानों में इसकी प्रयोज्यता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, शिकायतों से निपटने में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की भूमिका पर प्रकाश डालना और



एक सुरक्षित, समावेशी और लिंग-संवेदनशील परिसर वातावरण के निर्माण को प्रोत्साहित करना था। इस सत्र में विशेष वक्ता के रूप में श्री विजय कुमार ,संस्थापक और अध्यक्ष, महिला का सम्मान (HOW) , सहायक प्रवक्ता, स्कूल ऑफ़ लॉ जामिया हमदर्द, नई दिल्ली पधारे, जो जाने-माने कानूनी विशेषज्ञ और प्रमाणित POSH प्रशिक्षक हैं। विशेषज्ञों ने यौन उत्पीड़न की परिभाषा को स्पष्ट करने और POSH अधिनियम के तहत उत्पीड़न की परिभाषा को समझने, शिकायत दर्ज करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शन, समाधान के लिए समयसीमा और गोपनीयता उपायों और खुले संचार को प्रोत्साहित करने वाले निवारक उपायों और उत्पीड़न को रोकने के लिए नीति प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा उन्होंने संस्था के भीतर शिकायतों को संबोधित करने में आंतरिक शिकायत समिति की संरचना, जिम्मेदारियों और कार्यप्रणाली पर भी प्रकाश डाला। वक्ती डॉ. कुलसुम हैदर, सहायक प्रवक्ता, स्कूल ऑफ़ लॉ जामिया हमदर्द, नई दिल्ली ने प्रतिभागियों को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों से जुड़ने में मदद करने के लिए इंटरैक्टिव चर्चाओं और केस स्टडीज़ का उपयोग किया गया, जिससे एक आकर्षक और आंतरिक शिकायत समिति की संरचना, जिम्मेदारियों और कार्यप्रणाली पर भी प्रकाश डाला। वक्ती डॉ. कुलसुम हैदर, सहायक प्रवक्ता, स्कूल ऑफ़ लॉ जामिया हमदर्द, नई दिल्ली ने प्रतिभागियों को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों से जुड़ने में मदद करने के लिए इंटरैक्टिव चर्चाओं और केस स्टडीज़ का उपयोग किया गया, जिससे एक आकर्षक और जानकारीपूर्ण सत्र तैयार हुआ। कार्यशाला में उत्साही भागीदारी देखी गई और उन्होंने ज्ञानवर्धक और सशक्त सत्र के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। कार्यशाला का समापन आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्षा डॉ. शोभना गोयल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यशाला को सफल बनाने में आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य डॉ. त्रिपल गोयल, डॉ. पूजा सैनी व श्री सुभाष विद्यार्थी सदस्य में चंचल व भविष्य का विशेष योगदान रहा । कार्यशाला से 76 विद्यार्थी लाभान्वित हुए । See less

जनतंत्र टुडे

INDUSTRY – उद्योग और कारोबार हरियाणा-HR POLITICS – राजनीति SPORTS-खेल देश-प्रदेश ENTERTAINMENT-एन्टरटेनमेंट CRIME अपराध POSITIVE NEWS- सकारात्मक खबर

MORE ▾

Home / "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम" (POSH) विषय पर कार्यशाला का आयोजन अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ में

ASSURANCE - जमानतगार हरियाणा-HR

"कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम" (POSH) विषय पर कार्यशाला का आयोजन अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ में



फरीदाबाद, जनतंत्र टुडे / अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ में शुक्रवार को आंतरिक शिकायत समिति के तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन महाविद्यालय प्रधान देवेन्द्र कुमार गुप्ता, महासचिव दिनेश कुमार गुप्ता एवं प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार गुप्ता के कुशल नेतृत्व में किया गया। परिसर में सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल को बढ़ावा देने के लिए "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम" (POSH) अधिनियम, 2013 पर ध्यान केन्द्रित करते हुए POSH जागरूकता प्रशिक्षण कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य संकाय और कर्मचारियों को उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों और उच्च शिक्षा संस्थान में यौन उत्पीड़न से निपटने के तंत्र के बारे में शिक्षित करना था।

प्राचार्य ने अपने वक्तव्य में बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य POSH अधिनियम के प्रावधानों और शैक्षणिक संस्थानों में इसकी प्रयोज्यता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, शिकायतों से निपटने में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की भूमिका पर प्रकाश डालना और एक सुरक्षित, समावेशी और लिंग-संवेदनशील परिसर वातावरण के निर्माण को प्रोत्साहित करना था।

इस सत्र में विशेष वक्ता के रूप में विजय कुमार, संस्थापक और अध्यक्ष, महिला का सम्मान (HOW), सहायक प्रवक्ता, स्कूल ऑफ लॉ जामिया हमदर्द, नई दिल्ली पधारे, जो जाने-माने कानूनी विशेषज्ञ और प्रमाणित POSH प्रशिक्षक हैं। विशेषज्ञों ने यौन उत्पीड़न की परिभाषा को स्पष्ट करने और POSH अधिनियम के तहत उत्पीड़न की परिभाषा को समझने, शिकायत दर्ज करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शन, समाधान के लिए समयसीमा और गोपनीयता उपायों और खुले संचार को प्रोत्साहित करने वाले निवारक उपायों और उत्पीड़न को रोकने के लिए नीति प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा उन्होंने संस्था के भीतर शिकायतों को संबोधित करने में आंतरिक शिकायत समिति की संरचना, जिम्मेदारियों और कार्यप्रणाली पर भी प्रकाश डाला।

डॉ. कुलसुम हैदर, सहायक प्रवक्ता, स्कूल ऑफ लॉ जामिया हमदर्द, नई दिल्ली ने प्रतिभागियों को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों से जुड़ने में मदद करने के लिए इंटरैक्टिव चर्चाओं और केस स्टडीज़ का उपयोग किया गया, जिससे एक आकर्षक और जानकारीपूर्ण सत्र तैयार हुआ। कार्यशाला में उत्साही भागीदारी देखी गई और उन्होंने ज्ञानवर्धक और सशक्त सत्र के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की।

कार्यशाला का समापन आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्ष डॉ. शोभना गोयल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यशाला को सफल बनाने में आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य डॉ. डिंपल गोयल, डॉ. पूजा सैनी व श्री सुभाष विद्यार्थी सदस्य में चंचल व भविष्य का विशेष योगदान रहा। कार्यशाला से 76 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

प्रकार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) पर कार्यशाला का आयोजन

अटल हिंद/योगेश गर्ग

बल्लभगढ़। अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ में दिनांक 21 मार्च 2025 को आंतरिक शिकायत समिति के तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन महाविद्यालय प्रधान श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता, महासचिव श्री दिनेश कुमार गुप्ता एवं प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार गुप्ता के कुशल नेतृत्व में किया गया।

परिसर में सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल को बढ़ावा देने के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम " (POSH) अधिनियम, 2013 पर ध्यान केंद्रित करते हुए POSH जागरूकता प्रशिक्षण कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया। कार्यशाला का उद्देश्य संकाय और कर्मचारियों को उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों और उच्च शिक्षा संस्थान में यौन उत्पीड़न से निपटने के तंत्र के बारे में शिक्षित करना था। प्राचार्य जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य POSH अधिनियम के प्रावधानों और शैक्षणिक संस्थानों



में इसकी प्रयोज्यता के बारे में जागरूकता बढ़ाना, शिकायतों से निपटने में आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की भूमिका पर प्रकाश डालना और एक सुरक्षित, समावेशी और लिंग-संवेदनशील परिसर वातावरण के निर्माण को प्रोत्साहित करना था। इस सत्र में विशेष वक्ता के रूप में श्री विजय कुमार, संस्थापक और अध्यक्ष, महिला का सम्मान (HOW), सहायक प्रवक्ता, स्कूल ऑफ लॉ जामिया हमदर्द, नई दिल्ली पधारे, जो जाने-माने कानूनी विशेषज्ञ और प्रमाणित

POSH प्रशिक्षक हैं। विशेषज्ञों ने यौन उत्पीड़न की परिभाषा को स्पष्ट करने और POSH अधिनियम के तहत उत्पीड़न की परिभाषा को समझने, शिकायत दर्ज करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शन, समाधान के लिए समयसीमा और गोपनीयता उपायों और खुले संचार को प्रोत्साहित करने वाले निवारक उपायों और उत्पीड़न को रोकने के लिए नीति प्रवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा उन्होंने संस्था के भीतर शिकायतों को संबोधित करने में

आंतरिक शिकायत समिति की संरचना, जिम्मेदारियों और कार्यप्रणाली पर भी प्रकाश डाला। वक्त्री डॉ. कुलसुम हैदर, सहायक प्रवक्ता, स्कूल ऑफ लॉ जामिया हमदर्द, नई दिल्ली ने प्रतिभागियों को वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों से जुड़ने में मदद करने के लिए इंटरैक्टिव चर्चाओं और केस स्टडीज़ का उपयोग किया गया, जिससे एक आकर्षक और जानकारीपूर्ण सत्र तैयार हुआ। कार्यशाला में उत्साही भागीदारी देखी गई और उन्होंने ज्ञानवर्धक और सशक्त सत्र के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। कार्यशाला का समापन आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्ष डॉ. शोभना गोयल के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। कार्यशाला को सफल बनाने में आंतरिक शिकायत समिति के सदस्य डॉ. डिंपल गोयल, डॉ. पूजा सैनी व श्री सुभाष विद्यार्थी सदस्य में चंचल व भविष्य का विशेष योगदान रहा। कार्यशाला से 76 विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम कार्यशाला का आयोजन

समाचार गेट/सुमित गोपाल
बल्लभगढ़, 1 अगस्त
महाविद्यालय बल्लभगढ़ में दिनांक
21 मार्च 2025 को आंतरिक
शिकायत समिति के तत्वाधान में
कार्यशाला का आयोजन
महाविद्यालय प्रधान देवेंद्र कुमार
गुप्ता, महासचिव दिनेश कुमार गुप्ता
एवं प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार गुप्ता
के कुशल नेतृत्व में किया गया।
परिसर में सुरक्षित और
सम्मानजनक माहौल को बढ़ावा देने
के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
को रोकथाम (POSH)
अधिनियम, 2013 पर ध्यान केंद्रित
करते हुए POSH जागरूकता
प्रशिक्षण कार्यशाला का
सफलतापूर्वक आयोजन किया।
कार्यशाला का उद्देश्य संकाय और
कर्मचारियों को उनके अधिकारों,
जिम्मेदारियों और उच्च शिक्षा
संस्थान में यौन उत्पीड़न से निपटने
के तंत्र के बारे में शिक्षित करना था।



प्राचार्य जी ने अपने वक्तव्य में बताया
कि कार्यशाला का उद्देश्य POSH
अधिनियम के प्रावधानों और
शैक्षणिक संस्थानों में इसकी
प्रयोज्यता के बारे में जागरूकता
बढ़ाना, शिकायतों से निपटने में
आंतरिक शिकायत समिति (ICC)

की भूमिका पर प्रकाश डालना और
एक सुरक्षित, समावेशी और लिंग-
संवेदनशील परिसर वातावरण के
निर्माण को प्रोत्साहित करना था।

कार्यशाला का समापन आंतरिक
शिकायत समिति की अध्यक्ष डॉ.
शोभना गोंयल के धन्यवाद ज्ञापन के

साथ हुआ। कार्यशाला को सफल
बनाने में आंतरिक शिकायत समिति
के सदस्य डॉ. डिंपल गोयल, डॉ.
पूजा सैनी व श्री सुभाष विद्यार्थी
सदस्य में चंचल व भविष्य का विशेष
योगदान रहा। कार्यशाला से 76
विद्यार्थी लाभान्वित हुए।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए जागरूक किया

बल्लभगढ़। अग्रवाल कॉलेज में शुक्रवार को यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य संकाय और कर्मचारियों को उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों और उच्च शिक्षा संस्थान में यौन उत्पीड़न से निपटने के तंत्र के बारे में शिक्षित करना था। प्राचार्य संजीव गुप्ता ने अपने वक्तव्य में बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य पॉश अधिनियम के प्रावधानों और शैक्षणिक संस्थानों में इसकी प्रयोज्यता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

नवभारत टाइम्स । फरीदाबाद । शनिवार, 22 मार्च 2025

2

यौन उत्पीड़न रोकने को दिया प्रशिक्षण

■ NBT न्यूज, बल्लभगढ़ : शहर के अग्रवाल कॉलेज में शुक्रवार को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम, 2013 पर जागरूकता प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला से 76 स्टूडेंट लाभान्वित हुए। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थान में यौन उत्पीड़न से निपटने के तंत्र के बारे में शिक्षित करना था।